

20/02/24 नवीन जमीन दाखिल अजली मन्
नमिलडी। पत्रावली नहि तब
किनांक 12/01/24 को जे का का
न की अवधि ब्याई जाही है

21/02/24 नवीन जमीन दाखिल अजली मन्। हाप की
को। मन् काव ज-पा मन् अतिवत मन्
तद्वि अत तिया अच दाखिल नही।
पत्रावली नहि तबनी (2021-10-24 का
के ध) 6

21/02/24 हाप पत्रावली ब्याई है। अधिकार हाप हाप
अर्थात् सं. 1 ता प के हाप हाप हाप हाप हाप हाप हाप
अर्थात् सं. 7-9-10/3 ता 10/4 व 11 ता 13 की तरफ के
हरिपिण्ड बिह समथारी ने व कालत नामी ब्याई किना
शामिल निषल क्रिया जमा। अधिकार हाप की ब्याई
हुनी गई। अधिकार अर्थात् ने स्वगत भोडक
दिनांक 20/8/2024 को अपने हित और अधिकार
के विपरीत बताकर प्रतिकूल कले के आधा टु पड
अथगत का विरोध क्रिया हाप ही तथा कथित अथगत
दिनांक 28.05.1999 का फजी बिलमा हाप ही हाप हाप
अथगत का तथा कथित अथगत के हित में
अधिकार नही होने का कथन क्रिया पत्रावली
पर भोजपुर अथगत व अर्थात् अधिकार की ब्याई
अथगत पत्रावली में अर्थात् ने प्रतिकूल कले अथगत
पर अथगत पाहा है एवं अर्थात् सं. 1 ता प के हाप हाप
भूमि पर अधिकार जताया है अर्थात् ने अथगत
वपमूक्त भूमि की दिनांक 22.4.2024 की प्रकृत
की है जिसमें ब्याई अथगत अर्थात् ही अथगत अर्थात्
सं. 1 ता प ने दिनांक 28.8.2024 की प्रकृत
अथगत प्रकृत की है जिसमें अर्थात् अथगत
ब्याई अथगत नही है इसके अतिरिक्त अथगत



हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम, जो इस
हुक्म की तामील
में जारी हुए

द्वारा नामान्तरण उपर दिनांक 13.06.2024 व
शाम 12.00 बजे हुआ। प्रथम अवलोकन यह
स्पष्ट होता है कि अर्थात् 1. या पूर्व गांव
में वाप गांव की भूमि के विकल्प खतबंद है।
अर्थात् के जो पूरा खतबंदी के अर्थात् यह खतबंद
करने में विफल रहा है अर्थात् वाप गांव की
का खतबंद हो। इस कारण अर्थात् पर अर्थात्
भी माराम अर्थात् है। ताप के विकल्प अधिकारी
व हितों के विकल्प होने कारण खतबंद किया
जाता है। दिनांक 20.06.2024 को उक्त अर्थात्
21.2.2024 में जारी अर्थात् निषेधाज्ञा की
इसी खतबंद खतबंद किया जाता है। अर्थात्
निमित्त होकर अर्थात् से कम है। मूल खतबंद के
साथ खतबंद है।
निमित्त खतबंद अर्थात् में हुआ।

उपखण्ड अधिकारी
खतबंद नगर